"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015—वैशाख 18, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार पिता श्री परशुराम शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी फ्लैट नम्बर 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आदित्य, डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार बिलासपुर में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत् है. मैं अपने पुत्र आदित्य के नाम के साथ उपनाम कुमार जोड़कर अपने पुत्र का नया नाम आदित्य कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को आदित्य कुमार (Aditya Kumar) पिता श्री संजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आदित्य (ADITYA)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स,
देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड,
पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
495006

नया नाम

आदित्य कुमार (ADITYA KUMAR)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स,
देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड,
पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
495006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार पिता श्री परशुराम शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी फ्लैट नम्बर 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री नाव्या, डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार बिलासपुर में कक्षा 7वीं में अध्ययनरत् है. मैं अपनी पुत्री नाव्या के नाम के साथ उपनाम कुमार जोड़कर अपनी पुत्री का नया नाम नाव्या कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को नाव्या कुमार (Naavya Kumar) पिता श्री संजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नाव्या (NAVYA)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स,
देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड,
पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
495006

नया नाम

नाव्या (NAAVYA KUMAR)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स,
देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड,
पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
495006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार पिता श्री परशुराम शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी फ्लैट नम्बर 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री काव्या, डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार बिलासपुर में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत् है. मैं अपनी पुत्री काव्या के नाम के साथ उपनाम कुमार जोड़कर अपनी पुत्री का नया नाम काव्या कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को काव्या कुमार (Kaavya Kumar) पिता श्री संजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

काव्या (KAVYA)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स,
देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड,
पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
495006

नया नाम

काव्या (KAAVYA KUMAR)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स,
देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड,
पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
495006

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/616/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अशोक अग्रवाल आत्मज श्री सियाराम अग्रवाल साकिन रामसागरपारा रायपुर द्वारा "श्री अग्रसेन चेरिटेबल ट्रस्ट" पता श्री हनुमान मार्केट रामसागरपारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री अग्रसेन चेरिटेबल ट्रस्ट" पता- श्री हनुमान मार्केट रामसागरपारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	15,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 28-05-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 09-04-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/617/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अमित कुमार गोयल पिता श्री कांति लाल गोयल निवासी ग्राम पंचायत कुंरा, रायपुर द्वारा "राहें फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता-अकाश गैस डिपो के पास अन्ना चौक गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"राहें फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता-अकाश गैस डिपो के पास अन्ना चौक गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 28-05-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 13-04-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/661/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राकेश चतुर्वेदी निवासी हाउस नं. एच-18 अनुपम नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा "यूथ वेलफेयर ट्रस्ट" रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3261 अनुपम नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"यूथ वेलफेयर ट्रस्ट" रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3261 अनुपम नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	14,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 19-05-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 22-04-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 27 अप्रैल 2015

प्रारूप

[प्रारूप देखें नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/1347/प्र. 2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि श्री रामजीवन चौबे आ. स्व. श्री रामस्नेही चौबे निवासी कातुलबोड पो. एस. ए. एफ. लाईन दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा "गुरूकृपा प्रज्ञा प्रसार परिषद् ट्रस्ट कातुलबोड तहसील व जिला दुर्ग" के लोक न्यास अधिनियम 1951

(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया गया कि कथित आवेदन पर दिनांक 23-01-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	गुरूकृपा प्रज्ञा प्रसार परिषद् ट्रस्ट कातुलबोड पो.- एस. ए. एफ. लाईन भिलाई तहसील व जिला दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. वाजपेयी,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2015

आदेश क्रमांक/150.—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1. राजनांदगांव वनमण्डल के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत शिकारीमहका को चालान क्रमांक 135/41 दिनांक 21-03-2012 को परिवहन अनुज्ञापत्र प्रारूप "ख" बुक क्रमांक 4802 (पेज क्रमांक 01 से 50 दो प्रतियों में) कोरा जारी किया गया था.

2. सरपंच ग्राम पंचायत शिकारीमहका दिनांक 22-12-2014 को पंड्री राजनांदगांव में परिवहन अनुज्ञापत्र प्रारूप "ख" बुक क्रमांक 4802 (पेज क्रमांक 01 से 50 दो प्रतियों में) जो एक पेज भरी थी जो कि पेण्ड्री राजनांदगांव में गुम हो गई थी. जिसकी सूचना एवं शपथ पत्र सरपंच द्वारा दिनांक 23-01-2015 को थाना प्रभारी लालबाग राजनांदगांव को दिया गया था.

3. गुमशुदा अनुज्ञापत्र प्रारूप "ख" बुक क्रमांक 4802 काफी के खोज बीन करने के उपरांत भी उक्त बुक प्राप्त नहीं हुई. जिसके संबंध में कार्या. ज्ञापन क्रमांक/लायसेंस/2745 दिनांक 24-03-2015 को परिक्षेत्राधिकारी, बाघनदी को प्रकरण से संबंधित मूल अभिलेख भेजकर आवश्यक जांच कर स्पष्ट अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देशित किया गया था.

4. यह कि परिक्षेत्र अधिकारी, बाघनदी के प्रतिवेदन क्रमांक/304 दिनांक 09-04-2015 द्वारा उक्त तत्वों के आधार पर नियमानुसार परिवहन अनुज्ञापत्र प्रारूप "ख"बुक क्रमांक 4802 (पेज क्रमांक 01 से 50) को अपलेखित करने हेतु लेख किया गया है.

अत: सरपंच ग्राम पंचायत शिकारीमहका द्वारा शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 23-01-2015 दी गई सूचना के आधार पर मैं आदेश करता हूं कि :-

आदेश क्रमांक/150.—परिवहन अनुज्ञापत्र प्रारूप "ख" बुक क्रमांक 4802 (पेज क्रमांक 01 से 50 दो प्रतियों में जो 01 पेज भरी) वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित करते हुए संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत शिकारीमहका को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त परिवहन अनुज्ञापत्र प्रारूप "ख" बुक क्रमांक 4802 (पेज क्रमांक 01 से 50 दो प्रतियों में जो 01 पेज भरी) प्राप्त होती है तो समीपस्थ पुलिस थाना या वनमण्डल कार्यालय में जमा करें. किसी व्यक्ति द्वारा उसे अवैधानिक रूप से रखे हुये या दुरूपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

पी. अरूण प्रसाद,
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोराबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/868.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/839/31-10-2009 के तहत् हसदेव बांगो विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित-माचाडोली, पंजीयन क्रमांक 90 दिनांक 19-11-1996 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. पी. मसीह, व.स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् हसदेव बांगो विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित-माचाडोली, पंजीयन क्रमांक 90 दिनांक 19-11-1996 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/870.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/654/23-12-2013 के तहत् आदर्श श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित-रानीअटारी, पंजीयन क्रमांक 41 दिनांक 11-06-2013 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. पी. मसीह, व.स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् आदर्श श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित-रानीअटारी, पंजीयन क्रमांक 41 दिनांक 11-06-2013 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/871.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/548/13-08-2008 के तहत् श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित-गुरसियां, पंजीयन क्रमांक 3555 दिनांक 16-11-1994 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. पी. मसीह, व.स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित-गुरसियां, पंजीयन क्रमांक 3555 दिनांक 16-11-1994 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/872.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/336/04-06-2008 के तहत् कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित-तानाखार, पंजीयन क्रमांक 3850 दिनांक 10-01-1997 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. पी. मसीह, व.स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित-तानाखार, पंजीयन क्रमांक 3850 दिनांक 10-01-1997 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/873.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/123/21-01-1978 के तहत् विविध उद्देश्य सहकारी समिति मर्यादित-गुरसियां, पंजीयन क्रमांक 2569 दिनांक 26-05-1959 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. पी. मसीह, व.स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् विविध उद्देश्य सहकारी समिति मर्यादित-गुरसियां, पंजीयन क्रमांक 2569 दिनांक 26-05-1959 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/874.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./455/27-08-2013 के तहत् श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित-ओंमपुर रजगामार, पंजीयन क्रमांक 69 दिनांक 30-04-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित-ओंमपुर रजगामार, पंजीयन क्रमांक 69 दिनांक 30-04-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/875.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1028/10-12-2012 के तहत् कोयलांचल गृह निर्माण सहकारी मर्यादित-कोरबा, पंजीयन क्रमांक 98 दिनांक 16-03-2007 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् कोयलांचल गृह निर्माण सहकारी मर्यादित-कोरबा, पंजीयन क्रमांक 98 दिनांक 16-03-2007 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/876.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./408/05-08-2013 के तहत् सरस्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित-मोतीसागर पारा कोरबा, पंजीयन क्रमांक 58 दिनांक 31-08-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् सरस्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित-मोतीसागर पारा कोरबा, पंजीयन क्रमांक 58 दिनांक 31-08-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/877.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./492/17-09-2013 के तहत् दुर्गा भू-विस्थापित कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित-मानिकपुर, पंजीयन क्रमांक 76 दिनांक 23-02-2006 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् दुर्गा भू-विस्थापित कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित-मानिकपुर, पंजीयन क्रमांक 76 दिनांक 23-02-2006 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/878.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./195/13-06-2013 के तहत् आजाद कामगार सहकारी समिति मर्यादित-मानिकपुर, पंजीयन क्रमांक 71 दिनांक 27-06-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् आजाद कामगार सहकारी समिति मर्यादित-मानिकपुर, पंजीयन क्रमांक 71 दिनांक 27-06-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/879.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./340/22-07-2013 के तहत् महिला सेवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित-परसाभांठा बाल्को, पंजीयन क्रमांक 70 दिनांक 16-05-2006 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् महिला सेवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित-परसाभांठा बाल्को, पंजीयन क्रमांक 70 दिनांक 16-05-2006 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/880.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./403/05-08-2013 के तहत् गणपति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित-सर्वमंगला नगर कोरबा, पंजीयन क्रमांक 56 दिनांक 05-08-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् गणपति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित-सर्वमंगला नगर कोरबा, पंजीयन क्रमांक 56 दिनांक 05-08-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/881.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./493/14-10-2014 के तहत् आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित-धंवईपुर, पंजीयन क्रमांक 3675 दिनांक 27-06-1995 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री डी. डी. जोगांश, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित-धंवईपुर, पंजीयन क्रमांक 3675 दिनांक 27-06-1995 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/882.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./491/14-10-2014 के तहत् मॉ कोसगाई मछुआ सहकारी समिति मर्यादित-छुरीकला, पंजीयन क्रमांक 68 दिनांक 08-04-2005 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री डी. डी. जोगांश, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् मॉ कोसगाई मछुआ सहकारी समिति मर्यादित-छुरीकला, पंजीयन क्रमांक 68 दिनांक 08-04-2005 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/883.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./490/14-10-2014 के तहत् आदर्श श्रम ठेका, सहकारी समिति मर्यादित-भैसमाखार, पंजीयन क्रमांक 78 दिनांक 28-02-2006 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री डी. डी. जोगांश, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् आदर्श श्रम ठेका, सहकारी समिति मर्यादित-भैसमाखार, पंजीयन क्रमांक 78 दिनांक 28-02-2006 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/884.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./509/18-09-2013 के तहत् श्री तिरूपति ईंधन पूर्ति, सहकारी समिति मर्यादित-कोरबा, पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 15-01-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री के. एक्का, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् श्री तिरूपति ईंधन पूर्ति, सहकारी समिति मर्यादित-कोरबा, पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 15-01-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/885.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./509/18-09-2013 के तहत् विशाल ईंधन पूर्ति, सहकारी समिति मर्यादित-कोरबा, पंजीयन क्रमांक 46 दिनांक 23-01-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री के. एक्का, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् विशाल ईंधन पूर्ति, सहकारी समिति मर्यादित-कोरबा, पंजीयन क्रमांक 46 दिनांक 23-01-2004 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/891.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./495/14-10-2014 के तहत् विश्वकर्मा आदर्श उद्योग प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित-कसनियां, पंजीयन क्रमांक 3697 दिनांक 28-10-1995 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. फ्रेंकलीन, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् विश्वकर्मा आदर्श उद्योग प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित-कसनियां, पंजीयन क्रमांक 3697 दिनांक 28-10-1995 विकास खण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/892.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./497/14-10-2014 के तहत् कोयलांचल ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्यादित-ढेलवाडीह, बांकीमोंगरा, पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 13-11-2006 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. फ्रेंकलीन, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् कोयलांचल ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्यादित-ढेलवाडीह, बांकीमोंगरा, पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 13-11-2006, विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/893.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परिसमापन/496/14-10-2014 के तहत् मॉ सर्वमंगला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित-गेवरा-दीपका, पंजीयन क्रमांक 110 दिनांक 07-11-2007 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. फ्रेंकलीन, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् मॉ सर्वमंगला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित-गेवरा-दीपका, पंजीयन क्रमांक 110 दिनांक 07-11-2007 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/894.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परिसमापन./499/14-10-2014 के तहत् छत्तीसगढ़ श्रम ठेका कामगार सहकारी समिति मर्यादित-कुसमुण्डा, पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 21-02-2003 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. फ्रेंकलीन, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/ है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् छत्तीसगढ़ श्रम ठेका कामगार, सहकारी समिति मर्यादित-कुसमुण्डा, पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 21-02-2003 विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एम. के. ध्रुव,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.